

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 26/2022  
GCMS CASE NO- 2022/26

दायरा दिनांक 23.02.2022

चेतनराम पुत्र ईशरराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा चर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
बनाम (अपीलांत)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

(रिस्पोंडेंट)

उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांक:- 28.03.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान सरकार बनाम चेतनराम में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांत ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एसएलडी के प.नं. 81/384 के कि.नं. 8/.253 है0, पं. 81/385 के कि.नं. 5/.089, 6/.089 कुल .178 है0 इस प्रकार दोनों पत्थर नम्बरान में .431 है0 कमाण्ड रकबा के बाबत अपीलांत को बिना सुने मौका पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दे दिये व इसके पश्चात पत्रावली में राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 7080/2012 में जारी स्थगन की प्रति उपलब्ध रहते हुए भी अपीलांत को बिना सुने ही दिनांक 07.02.2022 को अपीलांत को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया। उक्त आदेश अपीलांत के पीठ पीछे पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.02.2022 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रिस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रिस्पोंडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांत ने दौरान बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांत का रोही भैरुपुरा चर्फ सीलवानी के खसरा नंबरान के समय से पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है, जिस पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही भैरुपुरा चर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलांत के कब्जा काश्त से जैर अपील रकबा चक 16 एसएलडी ए के प.नं. 81/384 के कि.नं. 8/.253 है0, पं. 81/385 के कि.नं. 5/.089, 6/.089 कुल .178 है0 रकबा कायम हो गया। मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांत की पीठ पीछे चक 16 एसएलडी के प.नं. 81/384 के कि.नं. 8/.253 है0, पं. 81/385 के कि.नं. 5/.089, 6/.089 कुल .178 है0 इस प्रकार दोनों पत्थर नम्बरान में .431 है0 कमाण्ड रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दिनांक 07.02.2022 को अपीलांत को तलबी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खड़ी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिया जो निरस्ती योग्य हैं। जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 7080/2012/एलआर/श्रीगंगानगर अनवान चेतनराम पुत्र ईशरराम बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया है। अपीलांत उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)



पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 7080/2012/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है। माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिन मौके पर खड़ी फसल जब्त करने के आदेश गिरदावर हल्का को दे दिये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलांट दिनांक 12.4.2022 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)  
भारतीय न्यायाधीश, जिला न्यायालय  
सूरतगढ़ (सूरतगढ़ नगर)